

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमो
पर सार्वजनिक सूचना

क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के.ज.सं.एवी.14017/61/2008 -ईस्ट (आर आर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियम संगलन है।

प्रारूप भर्ती नियमो पर आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति / टिप्पणी या सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमो के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री मनीष राज, अवर सचिव, , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं 306 - डी, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली - 110108 या ई-मेल पते : manish.raj@nic.in पर भेज सकते है।



(मनीष राज)

अवर सचिव, भारत सरकार,

टेलीफोन - 011 -23062868

नई दिल्ली

दिनांक: 01/07/2021

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख:

2021

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, रांची में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, रांची, पुस्तकालय और सूचना सहायक (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता: वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पुस्तकालय और सूचना सहायक	1* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी(और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिला का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य छेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।	अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री। (ii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त या कानूनी संगठन/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय में दो वर्षों का व्यावसायिक अनुभव। वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा। टिप्पण 1: : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करके, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करके, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: हां	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है)/ प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति(जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है):</p> <p>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5(29200-92300 रुपए) या समतुल्य में पद पर छह वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।</p> <p>बाहरी व्यक्तियों के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2(19900-63200 रुपये) में ऐसे विभागीय पुस्तकालय लिपिक(लिपिकों) पर भी विचार किया जाएगा, जिसने/जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री रखते हों। यदि ऐसे व्यक्ति का चयन होता है, तो पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। अन्यथा इसे प्रतिनियुक्ति(जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा भरा गया माना जाएगा।</p> <p>टिप्पण:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। 2. प्रतिनियुक्ति(जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>विभागीय प्रोन्नति और पुष्टि समिति में शामिल होंगे:</p> <p>निदेशक, केंद्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, रांची - अध्यक्ष;</p> <p>चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य;</p> <p>सहायक प्रोफेसर, केंद्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य;</p> <p>मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, रांची या प्रोफेसर, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची - सदस्य।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति *(जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।</p> <p>* यदि प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा के बिना है, तो संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं होगा।</p>